

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

संचिका सं०-03/आ०1-176/2023/ श्री अमित कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना सम्प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना एवं श्री अरुण कुमार मिश्र, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध श्रीमती गायत्री देवी द्वारा परिवाद दायर किया गया।

2. परिवाद की जाँच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना से कराई गई।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। तदालोक में श्रीमती गायत्री देवी द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-176/2023 1/497185/ पटना, दिनांक-.....08/09/2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/श्री अरुण कुमार मिश्र, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता - ग्राम/मो० - हरि जी का हाता, डुमराँव, पो० - राजगढ़, डुमराँव, थाना - डुमराँव, बक्सर, बिहार, मो०-7004229169, पिन - 802119) एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Vijay Kumar Pandey
Date: 08-09-2026 12:49:28

निदेशक (प्रशासन)